न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमूँ, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	अन्तिम डिक्री निर्णय दिनांक
163/2024	12.07.2024	10.11.2025

उनवान

1. मक्खन पुत्र नारायण, जाति मीणा, निवासी ग्राम मालेरा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

–वादी–

बनाम

1. कल्याण पुत्र लालाराम
2. प्रहलाद पुत्र गोविन्दा
3. रामनिवास पुत्र गोविन्दा
4. रामू पुत्र लालाराम
5. लक्ष्मण पुत्र लालाराम
6. सरदार पुत्र लालाराम
7. बनवारी पुत्र नारायण

   समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम मालेरा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
8. कालूराम पुत्र नारायण (मृतक दौराने दावा)

   8/1 पप्पू स्व0 कालूराम

   8/2 सायर पुत्र स्व0 कालूराम

   8/3 प्रकाश पुत्र स्व0 कालूराम

   8/4 गोकुल पुत्र स्व0 कालूराम

   8/5 उर्मिला पुत्री स्व0 कालूराम

   8/6 कलावती पुत्री स्व0 कालूराम

   समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम मालेरा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
9. कौशल्या देवी पत्नी रामचन्द्र जाति मीणा, निवासी ग्राम मालेरा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
11. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर हाल एस बी आई बैंक, शाखा जाटावाली, जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा जाटावाली, जिला जयपुर।
12. सिंडिकेट बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा फतेहपुरा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

Rathore
10/11/25

वाद बाबत घोषणा, तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956
निर्णय

निर्णय दिनांकः—10.11.2025

पत्रावली पेश हुई। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 04.11.2024 को उक्त वाद में प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार चौमू को वाद में विभाजन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था। डिक्री की पालना में तहसीलदार चौमू से दिनांक 17.04.2025 को कुरेजात प्राप्त हुए। पत्रावली पर प्रा0 पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 04 का पेश हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रा0 पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 04 का स्वीकार किया गया तथा मृतक प्रतिवादी संख्या 08 के वारिसान को बतौर प्रतिवादीगण संख्या 8/1 लगायत 8/6 स्थापित किया गया। पत्रावली पर अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 8/1 ता 8/4 द्वारा प्रा0 पत्र बाबत ऐतराज कुरेजात, प्रा0 पत्र बाबत वादी द्वारा संशोधित वाद पत्र पेश करने की अनुमति का पेश किया गया। जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रा0 पत्र बाबत ऐतराज कुरेजात, प्रा0 पत्र बाबत वादी द्वारा संशोधित वाद पत्र पेश करने की अनुमति पर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। प्रा0 पत्र बाबत ऐतराज कुरेजात, प्रा0 पत्र बाबत वादी द्वारा संशोधित वाद पत्र पेश करने की अनुमति का पूर्ण सुनवाई/परिक्षणोपरान्त खारिज किया गया। पत्रावली पर अधिवक्ता उभयपक्ष के निवेदन पर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादी, अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7, 9 द्वारा आदेशिक पर वाद मुताबिक कुरेजात डिक्री किये जाने बाबत लिखित सहमति प्रदान की गई। पत्रावली, रिकार्ड, कुरेजात रिपोर्ट दिनांक 17.04.2025, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया, बहस पर मनन किया गया, जिससे वादी का वाद तहसीलदार चौमूं से प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट दिनांक 17.04.2025 के अनुसार स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

अतः वादी का वाद तहसीलदार चौमू से प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट दिनाक 17.04.2025 के अनुसार स्वीकार किया जाकर पक्षकारों के मध्य अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है कि विवादित भूमि वाके ग्राम मालेरा, पटवार हल्का जाटावाली, भू. अभि. नि. क्षेत्र सामोद, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर में स्थित खाता संख्या नया 13 के खसरा नम्बर 103, 104, 105, 106, 109/417, 110/416 कुल किता 6 का कुल रकबा 0.92 हैक्टेयर, खाता संख्या नया 14 के खसरा नम्बर 101, 102, 107 कुल किता 3 का कुल रकबा 1.79 हैक्टेयर, खाता संख्या नया 69 के खसरा नम्बर 414/100, 416/411 कुल किता 2 का कुल रकबा 0.49 हैक्टेयर, खाता संख्या नया 70 के खसरा नम्बर 108 कुल किता 1 का कुल रकबा 0.55 हैक्टेयर, खाता संख्या नया 90 के खसरा नम्बर 412/99 कुल किता 1 का कुल रकबा 0.0460 हैक्टेयर भूमियां स्थित है जिसका मुताबिक कुरेजात तहसीलदार चौमू द्वारा खाता विभाजन खातेदारों के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

10/11/25

मक्खन पुत्र नारायण जाति मीणा सा0 देह खातेदार राहिन सिंडिकेंट बैंक शाखा फतेहपुरा को खसरा नम्बर 101/4 रकबा 0.0150 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 414/100/1 रकबा 0.3155 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 416/411 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 412/99 रकबा 0.0460 हैक्टेयर, कुल किता 04 का कुल रकबा 0.3965 हैक्टेयर भूमि, जो संलग्न नजरी नक्शे में दर्शाया गया है, दी जाती हैं।

2. प्रहलाद रामनिवास पि0 गोविन्दा जाति मीणा सा0 देह खातेदार राहिन सिंडिकेंट बैंक शाखा फतेहपुरा को खसरा नम्बर 109/417 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 110/416 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 108 रकबा 0.55 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 102 रकबा 0.60 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 103/3 रकबा 0.3157 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 101/1 रकबा 0.0212 हैक्टेयर, कुल किता 06 का कुल रकबा 1.5469 हैक्टेयर भूमि, जो संलग्न नजरी नक्शे में दर्शाया गया है, दी जाती हैं।
3. बनवारी पुत्र नारायण जाति मीणा सा0 देह खातेदार राहिन सिंडिकेंट बैंक शाखा फतेहपुरा को खसरा नम्बर 101/5 रकबा 0.1189 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 414/100/2 रकबा 0.1545 हैक्टेयर, कुल किता 02 का कुल रकबा 0.2734 हैक्टेयर भूमि, जो संलग्न नजरी नक्शे में दर्शाया गया है, दी जाती हैं।
4. कौशल्या देवी पत्नी रामचन्द्र जाति मीणा सा0 देह खातेदार को खसरा नम्बर 101/2 रकबा 0.12 हैक्टेयर, कुल किता 01 का कुल रकबा 0.12 हैक्टेयर भूमि, जो संलग्न नजरी नक्शे में दर्शाया गया है, दी जाती हैं।
5. कालू पुत्र नारायण जाति मीणा सा0 देह खातेदार राहिन एस0बी0आई शाखा जाटावाली को खसरा नम्बर 103/2 रकबा 0.4243 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 107/2 रकबा 0.0381 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 104/1 रकबा 0.03 हैक्टेयर, कुल किता 03 का कुल रकबा 0.4924 हैक्टेयर भूमि, जो संलग्न नजरी नक्शे में दर्शाया गया है, दी जाती हैं।
6. कल्याण रामू सरदार पि0 लालाराम हिस्सा 8150/9668 लक्ष्मण पुत्र लालाराम हिस्सा 1518/9668 जाति मीणा सा0 देह खातेदार को खसरा नम्बर 103/1 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 101/3 रकबा 0.3649 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 105 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 107/1 रकबा 0.5119 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 106 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 104/2 रकबा 0.01 हैक्टेयर, कुल किता 06 का कुल रकबा 0.9668 हैक्टेयर भूमि, जो संलग्न नजरी नक्शे में दर्शाया गया है, दी जाती हैं।

नोटः– मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट दिनांक 17.04.2025 अनुसार वादी मक्खन पुत्र नारायण जाति मीणा निवासी की मृत्यु दौराने वाद हो चुकी है अतः वादी मक्खन के हिस्से की भूमि को मुताबिक कुरेजात वादी मक्खन के विधिक वारिसान के नाम दर्ज करना सुनिश्चित करें।

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व जमाबन्दी में अंकन स्वीकार किया जाकर पृथक–पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग–अलग की जावें। रहन इत्यादि हो तो बदस्तूर रखा

Rathore
10/11/25

मानें। तहसीलदार (भू.अ.) चौमूं के जरिये पंत्राक/भू0अ0/2025/2182 दिनांक 17.04.2025 के द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व इसके संलग्न नजरी नक्शा मय कुर्रेजात रिपोर्ट को अन्तिम डिकी का भाग बनाया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिकी जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

10/11/25

दिलीप सिंह
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी चौमू ,जयपुर